

महत्त्वपूर्ण

प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना
चतुर्थ तल नव चेतना केन्द्र
10, अशोक मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य,
स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।

पत्रांक : एस0ई0सी0टी0एस0 / पत्रा-444 / 2017-18 / 69

लखनऊ : दिनांक 25 अप्रैल, 2017

विषय : मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 02.05.2017 को "स्टेट इम्प्लाइज कैशलेस ट्रीटमेन्ट स्कीम" की समीक्षा बैठक के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक चिकित्सा अनुभाग-6 के पत्र संख्या-61/एस0ई0सी0टी0एस0/2017 दिनांक 19.04.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा दिनांक 02.05.2017 को मध्याह्न 12:00 बजे से 12:45 बजे तक मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में "स्टेट इम्प्लाइज कैशलेस ट्रीटमेन्ट स्कीम" के अन्तर्गत राज्य कर्मचारियों तथा पेंशनर्स को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में आहूत बैठक की सूचना दी गयी थी।

तत्काल में अवगत कराना है कि उक्त बैठक योजना भवन की कक्ष संख्या-111 में दिनांक 02.05.2017 को मध्याह्न 12:00 बजे से 12:45 बजे तक आहूत की गयी है। बैठक से सम्बन्धित एजेण्डा बिन्दुओं की सूची इस पत्र के साथ संलग्न कर आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। आपसे अनुरोध है कि उक्त बैठक में संगत सूचनाओं के साथ प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

भवदीय,

संलग्नक:-यथोपरि।

(आलोक कुमार मित्रा)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

पत्रांक : एस0ई0सी0टी0एस0 / पत्रा-444 / 2017-18 /

तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
2. निदेशक, चिकित्सा उपचार, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
3. अनुभाग अधिकारी, चिकित्सा अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन।

02-05-17

125/51/00/26/4/17

(आलोक कुमार मित्रा)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

~~मुख्य कार्यपालक अधिकारी~~
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

25-4-17

प्र. 00 (के.ए.) / श्री. E. Soiverlawo

सु. 02.05.17 हेतु उपरोक्त सूचना
अतिरिक्त सूचना

26.04.17
D.D.O

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
26.4.17

**मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 02.05.2017 को स्टेट इम्पलाईज
कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम की समीक्षा बैठक के एजेन्डा बिन्दु**

"स्टेट इम्पलाईज कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम" के अन्तर्गत राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को आपातकालीन तथा असाध्य रोगों की स्थिति में सी0जी0एच0एस0 अनुबन्धित निजी चिकित्सालयों में सी0जी0एच0एस0 दरों पर कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। तत्कम में लक्षित लाभार्थियों का ऑनलाईन पंजीकरण वेबसाइट –www.upsects.in पर प्रक्रियाधीन है। लक्षित लाभार्थियों के पंजीकरण एवं स्टेट हेल्थ कार्ड प्राप्त करने से पूर्व उनके आहरण वितरण अधिकारी/कोषाधिकारी को योजनान्तर्गत ऑनलाईन पंजीकरण अनिवार्य है।

बैठक में निम्नलिखित बिन्दुओं पर विभागवार चर्चा प्रस्तावित है :-

1. जनपद/मण्डल में कुल आहरण वितरण अधिकारियों की संख्या—
2. जनपद/मण्डल स्टेट इम्पलाईज कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम अन्तर्गत पंजीकृत आहरण वितरण अधिकारियों की संख्या—
3. जनपद/मण्डल में कार्यरत राज्य कर्मचारियों की कुल संख्या की अद्यतन स्थिति
4. जनपद/मण्डल में स्टेट इम्पलाईज कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम अन्तर्गत पंजीकृत राज्य कर्मचारियों की कुल संख्या की अद्यतन स्थिति
5. जनपद/मण्डल में पेंशनर्स (अवकाश प्राप्त राज्य कर्मचारियों) की कुल संख्या—
6. जनपद/मण्डल में स्टेट इम्पलाईज कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम योजनान्तर्गत पंजीकृत पेंशनर्स की संख्या की अद्यतन स्थिति—
7. जनपद/मण्डल में स्टेट इम्पलाईज कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम योजनान्तर्गत अपेक्षित पंजीकरण न होने का कारण—
8. पंजीकरण कार्य में किसी प्रकार की कठिनाई है, तो अवगत करायें।
9. मण्डल/जनपद के पेंशनर्स, जो उ0प्र0 राज्य के बाहर अन्य राज्यों में पेंशन आहरित कर रहे हैं, उनके पंजीकरण की अद्यतन स्थिति।